...की ... संख्या ...र तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०—206/2022

सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत

श्री लखन सिंह——विक्रेता

प्रति

श्री प्रताप कुमार सिंह——क्रेता

—:आदेश:—

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता श्री लखन सिंह, पिता—उदयनारायण सिंह, ग्राम—रमकण्डा, पोस्ट—रमकण्डा, थाना—रमकण्डा, जिला—गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री प्रताप कुमार सिंह, पिता—चरकु सिंह, ग्राम—रमकण्डा, पोस्ट—रमकण्डा, थाना—रमकण्डा, जिला—गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, रमकण्डा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, रमकण्डा के पत्रांक 46/दिनांक 25.02.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता एवं अन्य के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के खरवार (अनुसूचित जन जाति) एवं क्रेता जाति के खरवार (अनुसूचित जन जाति) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल—कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू—हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, रमकण्डा के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता श्री लखन सिंह, पिता—उदयनारायण सिंह, ग्राम—रमकण्डा, पोस्ट—रमकण्डा, थाना—रमकण्डा, जिला—गढ़वा ने क्रेता श्री प्रताप कुमार सिंह, पिता—चरकु सिंह, ग्राम—रमकण्डा, पोस्ट—रमकण्डा, थाना—रमकण्डा, जिला—गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:—

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
रमकण्डा	126	पुराना—115 नया—659	पुराना—3218 नया—2702	0.18 3/4	उ०—नीज विक्रेता, द०—नीज विक्रेता, पू०—नीज विक्रेता, प०—पक्की सड़क,
			कुल रकबा:—	0.18 3/4	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

01/03/23 अपर समाहर्त्ता गढ़वा

01/03/23 अपर समाहर्त्ता गढ़वा

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2023.03.15 16:50:04 +05:30
Location: 192.168.4.160

Scanned with CamScanner